न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 561 सन 2018
अनवान :—

1. प्रमोद कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. दीपचन्द पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :— 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 455/438(233/2 की 6.5890हैक खसरा न0 736/1 की 2.0490हैक , खसरा न0 755/1 की 2.0610हैक कुल 10.6990हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम पुत्र मोटाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा फुसाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फुसाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उताधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा

Web Copy - Not Official

पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 455/438(233/2 की 6.5890हैक खसरा न0 736/1 की 2.0490हैक , खसरा न0 755/1 की 2. 0610हैक कुल 10.6990हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी सांख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official